

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com

क्रमांक: प.151/नि.अ.मा.वि./छात्रा.बजट घोषणा/2021-22/ 667

जयपुर, दिनांक: 08/06/2021

आदेश

बजट घोषणा 2021-22 सामान्य वाद-विवाद (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाएं) दिनांक 04 मार्च, 2021 के पैरा संख्या 18 पर की गई घोषणा एवं प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सहमति उपरांत "विभाग द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है"।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 333/JSMA/2021 दिनांक 16.04.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति उपरांत जारी किया जाता है।

Uth
7.6.2021
(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांक: प.151/नि.अ.मा.वि./छात्रा.बजट घोषणा/2021-22/ 668 - 678

जयपुर, दिनांक: 08/06/2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, शासन सचिवालय जयपुर
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान।
8. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला कलेक्टर,.....(समस्त)।
10. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग,.....(समस्त)।
11. सूचना सहायक को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

Nasir
(नसीम खान)
उप निदेशक (द्वितीय)